FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
अशोक कुमार		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या– 163/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.11.2021	वादी अशोक कुमार पुत्र शेषाराम जाति कुम्हार निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प खेजड़ला** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3106 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 4.8945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 4.6518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.9982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता शेषाराम पुत्र रावतराम जी की थी। संयुक्त खातेदार शेषाराम पुत्र रावतराम का देहान्त करीब 40 वर्ष पूर्व में हो गया। वादी के पिता शेषाराम की भूमि का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया तब वादी का नाम अशोक कुमार के बजाय [illegible] लिख दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम अशोक कुमार है। तथा सरकारी दस्तावेज भी अशोक कुमार पुत्र शेषाराम के नाम से जारी किये हुए है। अन्त में निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में ओपनराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र शेषाराम की संयुक्त खातेदारी की काश्तकारी की घोषित की जावें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:25 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी अशोक कुमार ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी अशोक कुमार का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 455, 322, 304, 307, 297 आदि को पेश किये है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में ओपनराम गलत लिख दिया गया

है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। एव मै कोई भी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहा हूं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम अशोक कुमार के बजाय ओपनराम पुत्र शेषाराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3106 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 4.8945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 4.6518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1. 9982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में ओपनराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र शेषाराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम खेजड़ला में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02.25 IST
Reason: SelfAttested

	उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:25 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 [illegible]ब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प खेजड़ला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
अशोक कुमार पुत्र शेषाराम जाति कुम्हार निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 163/2021

निर्णय **दिनांक** :– 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 455 रकबा 1.3106 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 322 रकबा 4.8945 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304 रकबा 4.6518 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.9982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 297 रकबा 6.0837 हैक्टेयर की सयुक्त खातेदारी भूमि में ओपनराम पुत्र शेषाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र शेषाराम की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बा[illegible]क्मनामा		
मुतफरिक			[illegible]रिक		
			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल ख[illegible] हर दो [illegible]रीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:25 IST
Reason: SelfAttested

बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:25 IST
Reason: SelfAttested